भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1001

जिसका उत्तर 07 दिसम्बर, 2021/16 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा माफ किए गए ऋण

1001. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा माफ किए गए/बट्टे खाते में डाले गए ऋण की राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऋण की ऐसी माफी के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2013-14 और वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की बैंक-वार कुल मात्रा कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का कुल सकल अग्रिम, जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 18,19,074 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 52,15,920 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, कतिपय मामलों में इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार, के साथ-साथ आक्रामक उधार पद्धतियां, आर्थिक मंदी इत्यादि हैं। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से एनपीए में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों पर अनुमानित हानियों, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, पीएसबी का सकल एनपीए अनुपात, जो दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार, 4.36% था, दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 14.58% हो गया तथा पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2021 को कम होकर 9.11% हो गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2021-22 में पीएसबी में एनपीए की मात्रा, चूंकि वित्तीय वर्ष 2021-22 अभी जारी है, के संबंध में आरबीआई से मार्च 2021 तक के आंकड़े प्राप्त किए गए हैं और वित्तीय वर्ष

2013-14 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत की स्थिति के अनुसार पीएसबी के केवल घरेलू परिचालन में इसके बैंक-वार सकल एनपीए का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों तथा बैंक के बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार अनुप्रयोज्य ऋण में, अन्य ऋणों के साथ-साथ, वैसे ऋण भी शामिल हैं, जिनकी चार वर्ष की अवधि पूरी होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण करके उन्हें बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों तथा अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर संबंधी लाभ उठाने तथा पूंजी को इष्टतम बनाने हेतु अपने नियमित कार्यकलाप के भाग के रूप में बट्टे खाते डाले जाने के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं/इन पर विचार करते हैं। विवेकपूर्ण अथवा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने से पुनर्भुगतान करने की उधारकर्ताओं की देयता समाप्त नहीं होती है, चूँकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता पर पुनर्भुगतान का दायित्व बना रहता है तथा बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों के मामले में उधारकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी रहती है, अत: बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को लाभ नहीं होता है। बैंक बट्टे खाते डाले गए खतों के संबंध में वसूली की कार्रवाई को उपलब्ध अनेक तंत्रों के जरिए, जैसे सिविल न्यायालयों अथवा ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमा दायर करके, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई करके, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामला दायर करके, समझौता/सुलह के माध्यम से तथा अनुप्रयोज्य आस्तियों की बिक्री से वसूली करके, जारी रखते हैं। विगत पांच वित्तीय वर्ष के दौरान पीएसबी में बट्टे खाते डाले गए ऋणों की राशि का बैंक-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, विगत पांच वित्तीय वर्ष के दौरान पीएसबी ने बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों से 86,986 करोड़ रूपए की कुल राशि की वसूली की है। प्रवर्तन एजेंसियां भी कतिपय मामलों में राशि की वसूली के लिए कार्रवाई करती हैं जैसे प्रवर्तन निदेशालय ने तीन भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मामले में 12,762 करोड़ रूपए मूल्य की आस्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को हस्तांतरित किया है।

*****

अनुबंध-I

घरेलू परिचालन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सकल एनपीए का ब्यौरा

राशि करोड़ रुपए में

बैंक	31.3.2014 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित मानक अग्रिमों, जिनके संबंध में प्रावधान नहीं किए गए सहित दबावग्रस्त आस्तियां			31.3.2021 की स्थिति के अनुसार पुनर्संरचित मानक अग्रिमों, सहित दबावग्रस्त आस्तियां		
	सकल अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में	राशि	(3) में से सकल एनपीए	सकल अग्रिम की प्रतिशतता के रूप में	राशि	(6) में से सकल एनपीए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बैंक ऑफ बड़ौदा[1]	10.19	44,739	14,495	9.17	58,810	52,346
बैंक ऑफ इंडिया	11.03	29,145	10,274	15.05	54,524	47,001
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10.57	9,551	2,860	9.66	10,402	7,780
केनरा बैंक[2]	9.76	41,782	11,635	9.38	61,233	54,634
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	20.43	37,462	11,500	18.51	32,755	29,277
इंडियन बैंक[3]	12.43	31,302	12,245	11.49	43,620	37,657
इंडियन ओवरसीज बैंक	12.41	20,102	7,838	13.41	17,473	14,804
पंजाब एंड सिंध बैंक	16.40	9,490	2,554	16.12	10,929	9,334
पंजाब नैशनल बैंक[4]	16.43	86,717	31,347	14.57	1,04,783	1,02,411
भारतीय स्टेट बैंक[5]	10.12	1,41,156	76,030	5.72	1,24,843	1,23,963
यूको बैंक	14.05	19,702	6,275	10.73	11,477	10,525
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया[6]	11.26	52,466	19,736	15.43	98,404	87,242
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड[7]	5.36	9,949	9,949			
कुल	11.62	5,33,563	2,16,739	10.21	6,29,252	5,76,974

स्रोत: आरबीआई आँकड़े, घरेलू परिचालन

[1] विजया बैंक तथा देना बैंक को दिनांक 1.4.2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलित कर दिया गया था।

[2] सिंडिकेट बैंक को दिनांक 1.4.2020 से केनरा बैंक में समामेलित कर दिया गया था।

[3] इलाहाबाद बैंक को दिनांक 1.4.2020 से इंडियन बैंक में समामेलित कर दिया गया था।

[4] ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को दिनांक 1.4.2020 से पंजाब नैशनल बैंक में समामेलित कर दिया गया था।

[5] स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर तथा भारतीय महिला बैंक लिमिटेड को दिनांक 1.4.2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया था।

[6] आंध्रा बैंक तथा कार्पोरेशन बैंक को दिनांक 1.4.2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलित कर दिया गया था।

[7] आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को दिनांक 21.1.2019 से आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया था।

टिप्पणी: समामेलित बैंकों के आंकड़े संबंधित बैंक, जिनमें उन्हें समामेलित किया गया था, में शामिल हैं।

*****

अनुबंध-II

वैश्विक परिचालनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई राशि

राशि करोड़ रुपए में

बैंक	वि.व. 2016-17	वि.व. 2017-18	वि.व. 2018-19	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21
बैंक ऑफ बड़ौदा[1]	6,250	7,148	19,292	15,912	14,782
बैंक ऑफ इंडिया	7,346	8,976	7,405	7,618	8,815
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1,374	2,460	5,127	5,698	4,931
केनरा बैंक[2]	6,815	10,710	21,042	12,431	7,642
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,396	2,924	10,375	4,169	5,992
इंडियन बैंक[3]	2,878	5,242	7,091	12,151	8,371
इंडियन ओवरसीज बैंक	3,066	6,908	7,794	16,405	4,618
पंजाब एंड सिंध बैंक	491	460	1,635	1,781	71
पंजाब नैशनल बैंक[4]	12,227	15,631	24,076	18,444	15,877
भारतीय स्टेट बैंक[5]	27,574	39,151	58,905	52,362	34,402
यूको बैंक	1,937	2,735	4,420	12,479	9,410
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया[6]	6,460	13,371	16,040	16,426	16,983
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड[7]	2,868	12,515			

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों तथा बैंक के बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार अनुप्रयोज्य ऋण में, अन्य ऋणों के साथ-साथ, वैसे ऋण भी शामिल हैं, जिनकी चार वर्ष की अवधि पूरी होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण करके उन्हें बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों तथा अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर संबंधी लाभ उठाने तथा पूंजी को इष्टतम बनाने हेतु अपने नियमित कार्यकलाप के भाग के रूप में बट्टे खाते डाले जाने के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं/इन पर विचार करते हैं। चूँकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता पर पुनर्भुगतान का दायित्व बना रहता है तथा बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों के मामले में उधारकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी रहती है, अत: बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को लाभ नहीं होता है। बैंक बट्टे खाते डाले गए खतों के संबंध में वसूली की कार्रवाई को उपलब्ध अनेक तंत्रों के जरिए, जैसे सिविल न्यायालयों अथवा ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमा दायर करके, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी) के तहत कार्रवाई करके, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में मामला दायर करके, समझौता/सुलह के माध्यम से तथा अनुप्रयोज्य आस्तियों की बिक्री से वसूली करके, जारी रखते हैं।

स्रोत: आरबीआई आँकड़े, घरेलू परिचालन

[1] विजया बैंक तथा देना बैंक को दिनांक 1.4.2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में समामेलित कर दिया गया था।

[2] सिंडिकेट बैंक को दिनांक 1.4.2020 से केनरा बैंक में समामेलित कर दिया गया था।

[3] इलाहाबाद बैंक को दिनांक 1.4.2020 से इंडियन बैंक में समामेलित कर दिया गया था।

[4] ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को दिनांक 1.4.2020 से पंजाब नैशनल बैंक में समामेलित कर दिया गया था।

[5] स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर तथा भारतीय महिला बैंक लिमिटेड को दिनांक 1.4.2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया था।

[6] आंध्रा बैंक तथा कार्पोरेशन बैंक को दिनांक 1.4.2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलित कर दिया गया था।

[7] आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को दिनांक 21.1.2019 से आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया था।

टिप्पणी: समामेलित बैंकों के आंकड़े संबंधित बैंक, जिनमें उन्हें समामेलित किया गया था, में शामिल हैं।

*****